

तहसीलदार, मेरठ  
(नगर-रकबा)

10.1.17

पत्रावली पेश हुई। और साजल गुलाम, कानाराज  
व सिधाराज उपाधि।

भापले के तय लेख में इस प्रकार है कि पथारी  
हल्ला गुलाम ने गुठलपुत्र से सत्यापित

सिधारे पेश की है कि गुलाम, कानाराज, सिधाराज  
पुत्र सत्यापित जाती जाट की जाय की जाती

के साथ की जाय की जाती के खण्ड 263 264  
0.04 हैं और पुत्रपुत्र सत्यापित पर पत्रावली

कनाकर सर्वेक्ष सत्यापित किया है।

सिधाराज  
गुलाम

इन पर और सामान्य के विरुद्ध धारा 31 PR Act के  
 तहत पुष्परा दर्प किया जाकर नोटेस जारी किये  
 गये। और सामान्य तारीख वेजी पर उपायित हुए और  
 पचास व दत्तवैज पेश किये। जो शां 1000 है  
 - रुं कि धारा 16 PR Act के तहत रास्ता प्रतिबंधित रुं कि  
 की खेती में होने से और सामान्य को आवरण। नियम  
 नारी किया जा सकता। रास्ता आवरण प्रयोग में  
 आता है। जिसके कारण अग्रणी को मुतनाफा छुट्टी  
 पर से हटाया जाना इच्छित होगा।


अतः और सामान्य को मुतनाफा रुं कि पर अतिरिक्त  
 दीपित किया जाकर मोके से मोकि रूप से बैदम्यल  
 किये जाने के आदेश किये जाते हैं एवं मुतनाफा रुं कि पर  
 अतिरिक्त हेतु लगान 0.32 का 50 गुण से स्वपये 16/-  
 अर्धदण्ड आरोपित किया जाता है।

पटवारी हलका व टीडारु इच्छित है। जिसके फल  
 मुगार होकर दायिसे दफ्तर है।

निर्दिष्ट तरे उपलभ्य तुमाफा जथा।

14/2016-17 रूपय 16  
 .ने. 4 केपूठ सं. 3 पर दजं की

  
 बहसील राजस्व लेखाकार मेड़ता

  
 तहसीलदार, मेड़ता  
 (नागौर-राजस्थान)